(a) is it a fact that DDA had invited applications from the retired/retiring Government servants in the year 1974 or nearabout that year, for allotment of houses under a special scheme ;

(b) if so, whether DDA proposes to revive such scheme for the benefit of those Government Servants who are due to retire in next few years ; and

(c) if so, what are the details thereof ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING SHRI BHISMA NARAIN SINGH) : (a) The D. D. A. had invited applications from retired/retiring Government Servants in the year 1972. A Special Self Financing Housing Registration Scheme for retired/retiring public servants was subsequently announced by the DDA and the registration was kept open from 7-1-81 to 7-3-81. Public servants retired/retiring during the period 1978 to 1982 were eligible for registration subject to fulfilling the prescribed conditions.

(b) The DDA has reported that it has no such proposal at present.

(c) Does not arise.

जल प्रदाय एवं मल व्ययन कार्यालय दिल्ली में सेवाओं का विनियमन

4647. श्री निहाल सिंह : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री जल प्रदाय एवं मल व्ययन कार्यालय दिल्ली नगर निगम में कर्मचारियों के स्थायीकरण के बारे में 14 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 14 दिसम्बर 1981 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल प्रदाय एवं मल व्ययन कार्यालय दिल्ली नगर निगम के उन कर्मचारियों को जो 3, 5 और 7 वर्ष से अधिक समय से दैनिक मजूरी पर कार्य कर रहे है और जिनकी सेवाएं अभी तक नियमित नहीं की गई हैं, के बारे म जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह): (क) जी, हां ।

(ख) जैसे कि दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान ने अनुमान लगाया है दैनिक मजदूरी पर लगे व्यक्तियों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

निम्नलिखित समय से दैनिक मजदूरी पर है :—

(क) तीन वर्ष से अधिक परन्तु 5 वर्ष से कम	1027
(ख) पांच वर्ष से अधिक परन्तु 7 वर्ष से कम	442
(ग) 7 वर्ष से अधिक	227

डी० डी० ए० के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो के मामले

4648. श्री फूल चन्द वर्मा : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो, दिल्ली विकास प्राधिकरण के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कोई जांच